महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला – खण्डवा.

विभागीय योजनाओं की जानकारी

(1) लाड़ली लक्ष्मी येजना :–

म0प्र0 शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा बालिकाओं की शिक्षा तथा स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार लाने, उसके अच्छे भविष्य की आधारशीला रखने, बालिका भ्रूण हत्या रोकने, बालिका जन्म के प्रति सकारात्मक सोच लाने एवं बाल विवाह रोकने के उद्देश्य से 01 जनवरी, 2006 के उपरान्त जन्मी बालिकाओं के लिए ''लाड़ली लक्ष्मी योजना'' आरंभ की गई है ।

ऐसी बालिकाएँ योजना का लाभ ले सकती है :–

1– जिनके माता–पिता म0प्र0 के मूल निवासी हो व आयकर दाता न हो ।
2– हितग्राही की आंगनवाड़ी केन्द्र में उपस्थिति नियमित हो ।
3– द्वितीय बालिका के प्रकरण में आवेदन करने से पूर्व माता या पिता ने परिवार नियोजन अपना लिया हो ।
4– प्रथम प्रसव की प्रथम बालिका जिनका जन्म 1 अप्रेल, 2006 के उपरान्त हुआ हो, परन्तु द्वितीय प्रसव के उपरान्त परिवार नियोजन अपना लिया हो ।
5– जिस परिवार में अधिकतम दो संतान हो और माता/पिता की मृत्यु हो गई है, उस परिवार के लिए परिवार नियोजन की शर्त अनिवार्य नहीं होगी परन्तु माता अथवा पिता का मृत्यु प्रमाण–पत्र आवश्यक होगा ।
6– जिस परिवार में प्रथम बालक अथवा बालिका है तथा दुसरे प्रसव पर दो जुड़वा बच्चियां जन्म लेती है तो दोनों जुड़वा बच्चियों को इस योजना का लाभ दिया जावेगा ।
7– यदि परिवार में अनाथ बालिका को गोद लिया हो तो उसे प्रथम बालिका मानते हुए योजना का लाभ दिया जावेगा ।

पंजीकरण कहां होगा :–

योजना में पंजीकरण के लिए माता–पिता/अभिभावक द्वारा बालिका के जन्म के एक वर्ष के अंदर संबंधित आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को अपना आवेदन प्रस्तुत करना होगा । ऐसी बालिकाएं, जिनका जन्म 31 मार्च, 2008 के पूर्व हुआ है और जो अपने माता–पिता की पहली संतान है तो द्वितीय संतान के जन्म के एक वर्ष के अंदर पंजीयन एवं आवेदन कराना आवश्यक होगा । अनाथ बालिका की दशा में संबंधित अनाथालय/संरक्षण गृह के अधीक्षक द्वारा बालिका के अनाथालय में प्रवेश के एक वर्ष के अंदर तथा बालिका की आयु 6 वर्ष होने के पूर्व संबंधित परियोजना अधिकारी को आवेदन करना होगा ।

आवेदन ऐसे करें :–

योजना का लाभ लेने के लिए अपने गांव/मोहल्ले या समीप की आंगनवाड़ी केन्द्र से सम्पर्क कर निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना होगा । आवेदन पत्र के साथ निर्धारित दस्तावेज संलग्न करना होंगे ।

योजना का लाभ निम्नानुसार मिलेगा :–

प्रकरण स्वीकृत होने के बाद हितग्राही बालिका के नाम पर लगातार 5 वर्षो तक रूपये 6000/– के राष्ट्रीय बचत पत्र क्रय किए जावेंगे । इसके बाद,

1– बालिका के कक्षा 6 वीं में प्रवेश लेने पर रूपये 2,000/– , कक्षा 9 वीं में प्रवेश लेने पर रूपये 4,000/– , कक्षा 11 वीं में प्रवेश लेने पर रूपये 7,500/– का एक मुश्त भुगतान किया जावेगा ।

2– कक्षा 11 वीं में प्रवेश लेने के पश्चात आगामी 2 वर्ष तक रूपये 200/– प्रतिमाह का भुगतान बालिका को किया जावेगा ।

3– कक्षा 12 वीं की परीक्षा में सम्मिलित होने पर तथा बालिका की आयु 21 वर्ष की पूरी होने पर शेष एक मुश्त राशि का भुगतान किया जावेगा, किन्तु शर्त यह होगी कि बालिका का विवाह 18 वर्ष की आयु के बाद ही हुआ हो ।

4– योजना के मध्य, अर्थात 21 वर्ष की आयु पूरी होने से पहले , बालिका के आवेदन पर उस दिनांक तक देय राशि का समय पूर्व भुगतान किया जा सकेगा । किन्तु शर्त यह होगी कि बालिका की आयु 18 वर्ष की हो , वह कक्षा 12 वीं की परीक्षा में सम्मिलित हो एवं 18 वर्ष उपरान्त उसका विवाह हुआ हो ।

जिले में योजना से लाभान्वित बालिकाओं की संख्या :–

जिला खण्डवा में योजना आरंभ दिनांक से वर्ष 2011–12 में जून 2011 अंत तक कुल 13,8,87 बालिकाओं को लाड़ली लक्ष्मी योजना अन्तर्गत पंजीकृत करते हुए पात्रता अनुसार प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय एन.एस.सी. का वितरण किया गया । लाभांवित किया जा चुका है । लाभांवित बालिकाओं का वर्षवार / संख्यात्मक विवरण निम्नानुसार है –

क्रमांक	परियोजना का नाम	वर्ष 2007–08					वर्ष 2008–09					वर्ष 2009–10				वर्ष 2010–11		
		स्वीकृत प्रकरण	प्रथम एनएससी	द्वितीय एनएससी	तृतीय एनएससी	चतुर्थ एनएससी	स्वीकृत प्रकरण		प्रथम एनएससी	द्वितीय एनएससी	तृतीय एनएससी	स्वीकृत प्रकरण		प्रथम एनएससी	द्वितीय एनएससी	स्वीकृत प्रकरण		प्रथम एनएससी
							प्रथम बालिका	द्वितीय बालिका				प्रथम बालिका	द्वितीय बालिका			प्रथम बालिका	द्वितीय बालिका	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	खण्डवा (शहरी)	135	135	135	135	135	274	216	490	490	490	480	183	663	663	627	196	823
2	खण्डवा (ग्रामीण)	44	44	44	44	44	212	190	402	402	0	338	163	501	0	459	281	740
3	पंधाना	94	94	93	93	90	497	273	770	740	736	485	289	774	765	838	308	1146
4	पुनासा	68	68	66	66	66	243	252	495	492	489	342	225	567	565	478	351	829
5	छैगांवमाखन	101	101	101	101	101	231	138	369	369	301	428	269	697	0	450	247	697
6	बलड़ी	28	28	28	28	28	38	23	61	61	61	138	44	182	31	171	65	236
7	खालवा	17	17	17	17	17	277	151	428	423	420	385	235	620	613	659	217	876
8	हरसुद	28	28	28	28	28	141	136	277	277	277	180	76	256	256	296	177	473
	योग	515	515	512	512	509	1913	1379	3292	3254	2774	2776	1484	4260	2893	3978	1842	5820

(2) उषा किरण योजना :–

घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005, नियम 2006 के आधार पर म0प्र0 में घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं को संरक्षण के साथ–साथ पुनर्वास करने एवं आवश्यक सेवाएॅ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ''उषा किरण योजना'' आरंभ की गई है ।

क्या है घरेलू हिंसा ?

घरेलू हिंसा यानि ऐसा कोई कार्य या हरकत जो किसी पीड़ित महिला एवं बच्चों (18 वर्ष से कम उम्र के बालक एवं बालिका) के स्वास्थ्य, सुरक्षा, जीवन को खतरा/संकट की स्थिति, आर्थिक नुकसान, क्षति जो असहनीय हो तथा जिससे महिला व बच्चे दुखी व अपमानित होते हों । इसके तहत् शारीरिक हिंसा, मौखिक व भावनात्मक हिंसा, लैंगिक व आर्थिक हिंसा या धमकी देना आदि शामिल है ।

''घरेलू से क्या तात्पर्य है ?

एक ही छत/घर के नीचे संयुक्त परिवार/एकल परिवार के पारिवारिक सदस्य, जो समरक्तता/संगोत्रता/दत्तक/विवाह द्वारा बनाये गए रिश्ते के रूप में रह रहे या रह चुके, महिला एवं बच्चे ।

पीड़ित महिला कौन है ?

विवाहित, अविवाहित के अलावा अन्य रिश्तों में रह रही विवाहित , विधवा, मॉ, बहन, बेटी, बहू, शादी के बगैर साथ रह रही महिला या दूसरी पत्नी के रूप में रह रही या रह चुकी महिला । धोके से किया गया विवाह / अवैध विवाह वाली महिला ।

शिकायत किसके खिलाफ दर्ज कराई जा सकती है ?

किसी भी वयस्क पुरूष सदस्य (प्रत्यर्थी दोषी/हिंसाकर्ता) के खिलाफ, जिसके साथ महिला एवं बच्चे का घरेलू रिश्ता है या था, के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई जा सकती है ।

शिकायत कहां दर्ज करायी जा सकती है ? निम्न स्थानों / व्यक्तियों के पास शिकायत दर्ज करायी जा सकती है –

1– सीधे क्षेत्रीय मजिस्ट्रेट के पास,
2– स्थानीय पुलिस थाना,
3– संरक्षण अधिकारी (परियोजना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग),
4– सेवा प्रदाता (अ) पुलिस परामर्श केन्द्र (ब) पंजीकृत आश्रय गृह.

शिकायत कौन दर्ज करा सकता है ?

1– पीड़ित महिला और उसके बच्चे ।

2— पड़ोसी /परिवार का सदस्य/सेवा प्रदाता संस्थाएं/संरक्षण अधिकारी/पुलिस/या अन्य व्यक्ति जिस घरेलू हिंसा होने की या घटना की जानकारी है ।

इस कानून की प्रकृति एवं विशेषता :—

- यह एक दीवानी कानून है । इस कानून में दोषी को सजा दिलाने के बजाय पीड़ित के संरक्षण एवं बचाव की बात कही गई है । न्यायालय का आदेश न मानने पर दोषी व्यक्ति को एक साल तक की अवधि की सजा या रूपये 20 हजार तक जुर्माना या दोनों हो सकते है । घटना की प्रकृति गंभीर होने पर भारतीय दण्ड संहिता या अन्य किसी विधि के अधीन पुलिस कार्यवाही कर सकती है ।
- इस कानून के तहत् घरेलू हिंसा की रोकथाम के लिए न्यायाधीश, न्यायालय को आवेदन प्राप्त होने के 03 दिन के भीतर पहली सुनवाई कर बचावकारी अनन्तिम/एक पक्षीय अनन्तिम आदेश दे सकते है ।
- घरेलू रिश्तों में रहते हुए भी आपत्तिजनक व्यवहारों को सुधारने का पूरा मौका देता है ।
- महिलाएॅ सर छुपाने के लिए एक घर की चाह में बहुत से अनचाहे समझौते करती रहती है । यह कानून महिलाओं/बच्चों को अपने घर में स्वतंत्र व सुरक्षित रहने का अधिकार देता है, चाहे उस घर पर उनका मालिकाना हक हो या न हो ।
- न्यायालय प्रत्येक आवेदन की प्रथम सुनवाई की तारीख से 60 दिनों के अन्दर निपटारा करने का प्रयास करेगा ।
- न्यायालय महिला द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों एवं बयानों को भी विश्वसनीय मानकर आदेश दे सकता है कि हिंसा रोकी जावें और महिला को संरक्षण प्रदान किया जावें
- न्यायालय पीड़िता, संबंधित पुलिस थाने व यदि केस सेवा प्रदाता से जुड़ा है तो उसे मामले से संबंधित सभी आदेशों की प्रतियां निःशुल्क उपलब्ध करवायेगा ।
- यदि न्यायाधीश ऐसा समझते हैं कि परिस्थितियों के कारण मामले की सुनवाई बंद कमरे में किया जाना बेहतर और आवश्यक है तो या पीड़ित पक्ष ऐसी मांगे करें तो मामले की कार्यवाही बंद कमरे में की जा सकेगी ।
- यदि न्यायाधीश को पीड़ित व्यक्ति या दोषी से आवेदन प्राप्त होने पर यह समाधान हो जाता है कि परिस्थितियों में सुधार हुआ है तो पूर्व आदेश में परिवर्तन , संशोधन या निरस्त कर सकते है ।
- पीड़िता पूर्व में चल रहे अदालत के केस के अतिरिक्त भी इस कानून की धारा 18 से 22 तक संरक्षण एवं सहायता प्राप्त कर सकती है । घरेलू हिंसा के केस के साथ अन्य कानून अंतर्गत कार्यवाही भी एक साथ चल सकती है ।
- महिला घटना स्थल या वर्तमान में जहां निवासरत है, वहां केस दर्ज करा सकती है । पीड़िता जहां उचित समझे उस क्षेत्र के प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट को न्याय के लिए आवेदन दे सकती है ।
- जिला विधिक सहायता अधिकारी, न्यायालयीन प्रक्रिया हेतु निःशुल्क वकील एवं अन्य सहायता उपलब्ध करायेगा ।

जिले में पंजीकृत प्रकरणों की स्थिति :—

खण्डवा जिले में वित्तीय वर्ष 2011—12 में जून 2011 तक कुल 18 प्रकरण पंजीकृत हुए है जिसमें से समस्त 18 प्रकरणों को न्यायालय में प्रस्तुत किया जाकर उनका निराकरण कराया जा चुका है । परियोजनावार पंजीकृत एवं निराकृत प्रकरणों का संख्यात्मक विवरण निम्नानुसार है —

क्रमांक	परियोजना का नाम	प्राप्त प्रकरणों की कुल संख्या	निराकृत प्रकरणों की कुल संख्या	न्यायालय में प्रस्तुत प्रकरण संख्या	न्यायालय में निराकृत प्रकरण संख्या
1.	खालवा	3	3	3	3
2.	पन्धाना	2	2	2	2
3	हरसूद	1	1	1	1

4	बलड़ी	0	0	0	0
5	छैगॉवमाखन	2	2	2	2
6	पुनासा	4	4	4	4
7	खण्डवा (ग्रामीण)	3	3	3	3
8	खण्डवा (शहरी)	3	3	3	3
	योग :–	18	18	18	18

(3) किशोरी शक्ति योजना :–

11 से 18 वर्ष की आयु समूह वाली किशोरी बालिकाओं को उनके स्वास्थ्य की देखभाल, संतुलित भोजन एवं आर्थिक स्वावलम्बन बनाने के उद्देश्य से जिले में ''किशोरी शक्ति योजना'' संचालित की जा रही है । योजना के तहत विकासखण्ड स्तर पर एवं पंचायत स्तर पर किशोरी बालिकाओं के लिए प्रशिक्षण सत्र का आयोजन कर उन्हें समुचित जानकारी देकर लाभांवित किया जाता है तथा उन्हें आंगनवाड़ी केन्द्रों से जोड़कर पौष्टिक पोषण आहार की उपलब्ध कराया जाता है ।

चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 में जून 2011 अंत तक योजना के माध्यम से कुल 10,769 किशोरी बालिकाओं को प्रशिक्षित किया जाकर लाभान्वित किया जा चुका है । परियोजनावार लाभांवित बालिकाओं का संख्यात्मक विवरण निम्नानुसार है –

क्रमांक	परियोजना का नाम	खण्ड स्तरीय प्रशिक्षण से लाभांवित		पंचायत स्तरीय प्रशिक्षण से लाभांवित		कुल लाभान्वित
		लक्ष्य	लाभांवित	लक्ष्य	लाभान्वित	
1	खालवा	900	900	600	600	1500
2	पन्धाना	858	858	572	572	1430
3	हरसूद	354	354	236	236	590
4	बलड़ी	177	177	118	118	295
5	छैगॉवमाखन	429	429	286	286	715
6	पुनासा	621	621	414	414	1035

7	खण्डवा (ग्रामीण)	549	549	366	366	915
8	खण्डवा (शहरी)	516	516	344	344	360
	योग :–	2621	2621	8148	8148	10,769

(4) मंगल दिवसों का आयोजन :–

बाल विकास परियोजनाओं के तहत संचालित आंगनवाड़ी केन्द्रों में सामुदायिक सहभागिता सुनिश्चित करने एवं हितग्राहियों की संख्या बढ़ाने के उदेश्य से आंगनवाड़ी केन्द्रों पर प्रतिमाह के प्रथम से लेकर चतुर्थ मंगलवार को ''मंगल दिवस'' के रूप में मनाया जाता है । इसके अन्तर्गत प्रथम मंगलवार को गर्भवती महिलाओं की ''गोद भराई कार्यक्रम'' का आयोजन, द्वितीय मंगलवार को 06 माह की आयु वर्ग के बच्चों का ''अन्नप्राशन कार्यक्रम'' का आयोजन, तृतीय मंगलवार को बच्चों का ''जन्म दिवस कार्यक्रम'' का आयोजन तथा माह के चतुर्थ मंगलवार को ''किशोरी बालिका दिवस'' कार्यक्रम का आयोजन समारोह पूर्वक किया जाता है ।

इसके अन्तर्गत जिले में वित्तीय वर्ष 2011–12 में जून 2011 अंत तक गोद भराई कार्यक्रम से 5280 गर्भवती महिलाएँ, अन्नप्राशन कार्यक्रम से 7014 शिशु , जन्म दिवस कार्यक्रम से 10733 बच्चे तथा किशोरी बालिका दिवस से 21065 किशोरी बालिकाओं को लाभान्वित किया जा चुका है । परियोजनावार लाभांवितों का संख्यात्मक विवरण निम्नानुसार है –

क्रमांक	परियोजना का नाम	मंगल दिवस आयोजन से लाभान्वित हितग्राहियों का संख्यात्मक विवरण				
		गोद भराई कार्यक्रम	अन्नप्राशन कार्यक्रम	जन्म दिवस कार्यक्रम	किशोरी बालिका दिवस कार्यक्रम	कुल लाभान्वितों की संख्या
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	खालवा	1231	1562	2190	3178	8161
2	पन्धाना	1080	1413	2304	2474	7271
3	हरसूद	480	645	987	1050	3162
4	बलड़ी	144	173	206	273	796
5	छैगॉवमाखन	352	452	806	1127	2737
6	पुनासा	733	1051	1244	6473	9501
7	खण्डवा (ग्रामीण)	677	931	1687	4074	7369
8	खण्डवा (शहरी)	583	787	1309	2416	5095
	योग :–	5280	7014	10733	21065	44092

(5) सांझा चूल्हा योजना :–

मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के आदेश क्रमांक/एफ–3–2/2009/50–2, भोपाल, दिनांक 01/10/2009 में जारी दिशा निर्देशों के तहत जिले की 07 ग्रामीण बाल विकास परियोजनाओं के आंगनवाड़ी केन्द्रों में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित स्वयं सहायता समूह जिनके द्वारा मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम के तहत स्कूलों में दोपहर का भोजन प्रदाय किया जा रहा है, ऐसे समूहों को सांझा चूल्हा कार्यक्रम के तहत जोड़ते हुए आंगनवाड़ी केनद्रों में 3 वर्ष से 6 वर्ष के हितग्राही बच्चों के लिए प्रतिदिन एवं प्रत्येक मंगलवार को ''मंगल दिवस'' के दिन 6 माह से 6 वर्ष तक के समस्त बच्चों, गर्भवती/धात्री माताओ एवं किशोरी बालिकाओं को विभाग द्वारा निर्धारित पोषण आहार मीनू के अनुसार सुबह का नाश्ता एवं दोपहर का भोजन प्रदाय किया जा रहा है ।

खण्डवा जिले में ''सांझा चूल्हा कार्यक्रम'' का शुभारंभ शासन द्वारा निर्धारित तिथि 03 नवम्बर, 2009 से किया गया । वर्तमान में 805 स्वयं सहायता समूहों के द्वारा 1296 आंगनवाड़ी केन्द्रों के 3 वर्ष से 6 वर्ष के आयु वर्ग के कुल 64,475 बच्चों एवं प्रति मंगल दिवस में 6 माह से 3 वर्ष के 66,546 बच्चों तथा 26,256 गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को लाभान्वित किया जा रहा है ।

(6) महिला जागृति शिविरों का आयोजन :–

ग्रामीण एवं आदिवासी अंचलों की महिलाओं में व्याप्त सामाजिक भ्रांतियों/कुरूतियों/अंधविश्वास इत्यादि को समाप्त करने एवं शासन द्वारा दी जा रही सुविधाओं एवं उनके हक के लिये बनाये गये कानूनी अधिकारों, स्वास्थ्य शिक्षा आदि के संबंध में जानकारी देकर जागरूक बनाने के उद्देश्य से ग्रामीण एवं आदिवासी अंचलों में ''महिला जागृति शिविर'' का आयोजन किया जाता है ।

खण्डवा जिले में चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 आवंटन उपलब्ध नही होने से से वर्तमान में जागृति शिविरों का आयोजन नहीं कराया गया ।

1.	आईसीडीएस परियोजनाओं की कुल संख्या – कुल आदिवासी ग्रामीण शहरी	 08 02 05 01
2.	आंगनवाड़ी केन्द्रों की कुल संख्या – कुल आदिवासी ग्रामीण शहरी	 1468 586 710 172
3.	बाल विकास परियोजना अधिकारियों की कुल संख्या – स्वीकृत पद भरे पद	 08 03

4.	पर्यवेक्षकों की कुल संख्या – स्वीकृत पद भरे पद नियमित पर्यवेक्षक संविदा पर्यवेक्षक	 59 57 20 37
5.	आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की कुल संख्या – स्वीकृत पद भरे पद	 1468 1455
6	आंगनवाड़ी सहायिकाओं की कुल संख्या – स्वीकृत पद भरे पद	 1468 1439

भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य – उपलब्धि की जानकारी

क्रमांक	योजना का नाम	भौतिक		वित्तीय		
		लक्ष्य	उपलब्धि	प्राप्त आवंटन (लाख रूपये में)	व्यय आवंटन (लाख रूपये में)	शेष (लाख रूपये में)
1	पोषण आहार	1468 आ0 बा.0 केन्द्र	1468 आ0 बा.0 केन्द्र	150.00	150.00	0
2	लाडली लक्ष्मी	3247	3247	195.15	195.15	0
3	मंगल दिवस	44092	44092	8.81	8.81	0
4	जागृति शिविर	0	0	0	0	0
5	उषा किरण	अनिर्धारित		0.52	0.40	0.12
6	किशोरी शक्ति	10769	10769	8.80	7.82	0.98
7	अशासकीय संस्थाओं को अनुदान	एक संस्था	0	0	0	0
	कुल योग			363.28	362.18	01.10

न्यू डब्ल्यू. एच. ओ. ग्रोथ स्टेण्डर्ड अनुसार बच्चों का पोषण स्तर माह जून 201

क्र	परियोजना का नाम	आंगनवाड़ी केन्द्रों की कुल संख्या	वजन लिये गये बच्चों की कुल संख्या	सामान्य वजन वाले बच्चों की कुल संख्या	प्रतिशत	मध्यम वजन वाले बच्चों की कुल संख्या	प्रतिशत	अति कम वजन वाले बच्चों की कुल संख्या	प्रतिशत
1	खालवा	300	30596	19306	63.10	8816	28.81	2474	8.09
2	पन्धाना	286	26443	16939	64.06	8555	32.35	949	3.59
3	हरसूद	118	11345	8683	76.54	2158	19.02	504	4.44
4	बलड़ी	59	5265	3777	71.74	1361	25.85	127	2.41
5	छैगॉवमाखन	143	11648	7287	62.56	3634	31.20	727	6.24
6	पुनासा	207	17922	12196	68.05	5035	28.09	691	3.86
7	खण्डवा ग्रामीण	183	14918	9845	65.99	4499	30.16	574	3.85
8	खण्डवा शहरी	172	20427	15102	73.93	4981	24.38	344	1.68
	योग :–	1468	138564	93135	67.21	39039	28.17	6390	4.61

टेलीफोन डायरेक्टरी – महिला एवं बाल विकास खण्डवा.

क्र	कार्यालय का नाम	पद नाम	पद की वर्तमान स्थिति		पदस्थ अधिकारी का नाम	मेबाइल नंबर
			भरा	रिक्त		
1.	जिला कार्यालय खण्डवा	जिला कार्यक्रम अधिकारी	1	0	श्री राजेश कुमार गुप्ता	9425355652
2.	एकीकृत बाल विकास परियोजना, पन्धाना	बाल विकास परियोजना अधिकारी	1	0	श्री हरजिन्दर सिंह अरोरा	9926494099
3.	एकीकृत बाल विकास परियोजना, हरसूद	बाल विकास परियोजना अधिकारी	1	0	श्रीमती उषा अत्रे	9993310977
4.	एकीकृत बाल विकास परियोजना, छैगॉवमाखन	बाल विकास परियोजना अधिकारी	1	0	श्रीमती संजीता भगत	9425928666
5.	एकीकृत बाल विकास परियोजना, खण्डवा शहरी	बाल विकास परियोजना अधिकारी	0	1	सुश्री परवीन बाली (प्रभारी)	9425951952
6.	एकीकृत बाल विकास परियोजना, बलड़ी	बाल विकास परियोजना अधिकारी	0	1	श्रीमती सुलोचना पाराशर (प्रभारी)	9826523803
7.	एकीकृत बाल विकास परियोजना, पुनासा	बाल विकास परियोजना अधिकारी	0	1	श्रीमती सुधा दलाल (प्रभारी)	9977756759
8.	एकीकृत बाल विकास परियोजना, खालवा	बाल विकास परियोजना अधिकारी	0	1	कु0 नलिनी बरोले (प्रभारी)	9407458028
9.	एकीकृत बाल विकास परियोजना, खण्डवा ग्रामीण	बाल विकास परियोजना अधिकारी	0	1	श्रीमती संगीता शर्मा (प्रभारी)	9424018621